

21/5/24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय हाजा को राजस्थान
क़रतकारी अधिनियम 1955 सुनने का क्षेत्राधिकार
है-चूंकि अपील द्वारा - 75 लेव्ड रैवेन्यू एकर
के अन्तर्गत माली है। एवम न्यायालय हाजा को
इसका क्षेत्राधिकार नहीं होने से न्यायालय
उपरवर्त अधिकारी गिरा को पुनः लौटाया जा
रहा है। प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 2/7/24
को पेश हो।

Handwritten signature or mark.

